07/10/21

पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय आधिवक्ता अनुपस्थित। जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार-बार आवाजे लगवाई गई। उनके उपस्थित भी गैर-हाजिर रहने से वादीगण का यह वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कीया जाता है।

पत्रावली कैसल कुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मलूण्डा
जिला मलूण्डा